प्रस्तावना

मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वाणिज्यकर, उत्पाद एवं मद्य निषेध, परिवहन, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार और खनन एवं भू-तत्व विभाग सहित राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत झारखण्ड सरकार के विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा और/या अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलों में वैसे मामले जो 2017-18 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में प्रकाश में आये साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में प्रकाश में आये थे, परन्तु जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका था, जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर लेखापरीक्षा की गयी है।